EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED 1st JANUARY, 2019

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
आदेश

दिनांक 01 जनवरी, 2019

संख्या 03/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राशि का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय भी शामिल हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत राशि के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और चूंकि कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए राशि का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं;

इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 19) की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आदेश करते हैं कि धारा 52 के प्रयोजनों हेतु, अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि 31 जनवरी, 2019 होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED 1st JANUARY, 2019

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
ORDER

The 1st January, 2019

No.03/GST-2.— WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Haryana, on recommendations of the Council, hereby orders that the due date for furnishing the said statement for the months of October, November and December, 2018 shall be the 31st January, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.